

बिहार सरकार,  
आपदा प्रबंधन विभाग ।  
बन

॥ अ धि सू च ना ॥

संख्या-1 प्रओआओ-11/2006-3449 /आओप्रओ,पटना-15, दिनांक - 6/11/07

केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" का गठन किया जाता है, जिसका स्वयं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा 12) के अनुसार निम्नवत् होगा :-

1. [क] बिहार राज्य के मुख्य मंत्री प्राधिकरण के प्रदेन अध्यक्ष होंगे ।  
[ख] अन्य सदस्य, जिनकी संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, का नाम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष [मुख्य मंत्री] के द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा ।  
[ग] राज्य के मुख्य सचिव, प्रदेन सदस्य रहेंगे ।
2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष [मुख्य मंत्री] के द्वारा उक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा 13) एवं धारा 14 की उपधारा 12) के खण्ड [ख] से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिन अन्य सदस्यों [अधिकतम आठ] का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, उनमें से एक को राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे ।  
2.1. प्राधिकरण के नाम निर्दिष्ट सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्य तौर पर अधिकतम पाँच साल का होगा ।
3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 16 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा वाहन इत्यादि की व्यवस्था निम्नवत् की जाती है :-

25/11/07

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की अभिव्यक्ति संख्या
1	2	3	4
i.	संयुक्त सचिव -	14300-18300	01
ii.	अवर सचिव -	10000-15200	01
iii.	प्रशासक पदाधिकारी-	6500 - 10500	01
iv.	सहायक -	5500 - 9000	02
v.	निजी सहायक -	5500 - 9000	10
	।कम्प्यूटर का शौक रखने वाले।		
vi.	उच्च वर्गीय लिपिक -	4000- 6000	01
vii.	निम्नवर्गीय लिपिक -	3050 -4590	01
viii.	वालक -	3050-4590	08
ix.	आदेशपाल/अनुसूचक -	2550-3200	13
			आदेशपाल एवं वालक के स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत संकेत संख्या- 2401 दिनांक - 18.7.2007 के आदेश में सीवदा के आधार पर की जाएगी।
x.	सफाई कर्मी -	2550-3200	01
			वाह्य स्त्रोत से

3.2. प्राधिकरण के उपयोग हेतु सात अम्बेस्डर कार [ए0सी0] तथा कार्यालय कार्य के लिए एक मारुति वैल क्रय किया जाना है।

बिहार राजपाल के आदेश से,


ह0/-

।मनोज कुमार श्रीवास्तव।


प्रधान सचिव।

कृ०पृ०३०- --- "३"


ज्ञापक- 1/प्रओअओ- 11/2006 3449 /अओप्रओ, पटना- 15, दिनांक - 6/11/07  
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
[कृष्ण मोहन]  
सरकार के उप सचिव,  
अपुला प्रबंधन विभाग, बिहार ।


ज्ञापक 3449 /अओप्रओ, पटना- 15, दिनांक - 6/11/07  
प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
[कृष्ण मोहन]  
सरकार के उप सचिव ।


ज्ञापक 3449 /अओप्रओ, पटना- 15, दिनांक - 6/11/07  
प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी  
जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
[कृष्ण मोहन]  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापक 3449 /अओप्रओ, पटना- 15, दिनांक - 6/11/07  
प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल, बिहार के परामर्शी को महामहिम  
राज्यपाल के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

  
[कृष्ण मोहन]  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापक 3449 /अओप्रओ, पटना- 15, दिनांक - 6/11/07  
प्रतिलिपि लोकायुक्त, बिहार के सचिव को लोकायुक्त के सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
[कृष्ण मोहन]  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापक 3449 /अओप्रओ, पटना- 15, दिनांक - 6/11/07  
प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित ।



शापिकां-1/आओओ-11/06 3449 /आओओ, पटना-15, दिनांक - 6/11/07

प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय उप मुख्य मंत्री, बिहार/माननीय मंत्री [आपदा प्रबंधन विभाग] के अप्त सचिव को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार/माननीय उप मुख्य मंत्री, बिहार/माननीय मंत्री [आपदा प्रबंधन विभाग] के सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[कृष्ण मोहन]

सरकार के उप सचिव,

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार।

शापिकां 3449 /आओओ, पटना-15, दिनांक - 6/11/07

प्रतिलिपि अडीक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इसे आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनाई प्रकाशित कराय जाय एवं अधिसूचना की 1000 [एक हजार] प्रति विभाग के उपलब्ध कराय जाय ।

[कृष्ण मोहन]

सरकार के उप सचिव ।

शापिकां 3449 /आओओ, पटना-15, दिनांक - 6/11/07

प्रतिलिपि उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्रभाग-II, बार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[कृष्ण मोहन]

सरकार के उप सचिव ।